Seventeenth Loksabha

an>

Title : Motion for Consideration of INDIAN ANTARCTIC BILL, 2022 (Discussion Concluded and Bill Passed)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय अंटार्कटिक विधेयक सभा पटल पर चर्चा के लिए रखता हूँ।

Sir, with your permission, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the national measures for protecting the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems and to give effect to the Antarctic Treaty, the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources and to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय सभापति: मंत्री जी, क्या आप बिल पर कुछ बोलेंगे?

… (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसका एक रोचक पहलू भी है।… (व्यवधान) अंटार्कटिक एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है।… (व्यवधान) It is 60 degrees South of the Southern Hemisphere. Southern Hemisphere का लगभग एक तिहाई हिस्सा अंटार्कटिका का क्षेत्र माना जाता है।… (व्यवधान) It is considered to be the fifth-largest continent on the

earth. यहां पर हैबिटेट की परिस्थितियां भी कठिन हैं।... (व्यवधान) जलवायु की दृष्टि से सर्दी के मौसम में तापमान शून्य से 90 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहता है और गर्मियों में भी शून्य से 10 डिग्री तक नीचे रहता है।

यहां पर कोई ज्यादा रिहाइश नहीं है, अधिकतकर शोधक और वैज्ञानिक लोग रहते हैं और उनकी संख्या विभिन्न देशों को मिलाकर 1000 या 5000 से ज्यादा नहीं है।... (व्यवधान) यहां पर लगभग 40 शोध केन्द्र हैं। आज यह जो बिल लाया गया है, जब उस पर चर्चा होगी तो उसके उत्तर में मैं आगे की भी बात करूंगा, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने वहां पर अपने दो संस्थान – मैत्री और भारती स्थापित किए हैं।... (व्यवधान) इसी प्रकार अन्य देशों जैसे चीन, जापान, फ्रांस, न्यूजीलैण्ड ने वहां पर अपने-अपने संस्थान स्थापित किए हैं।... (व्यवधान) सन् 1959 में एक सन्धि हुई थी – अंटार्कटिक ट्रीटी, जो सन् 1961 में लागू हुई है और सन् 1983 से भारत भी उस पर हस्ताक्षर करके उसका हिस्सेदार बन गया। ... (व्यवधान)

आरम्भ में 12 देश इस सन्धि का हिस्सा थे, जिनमें अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, साउथ अफ्रीका और सोवियत यूनियन आदि देश शामिल थे।... (व्यवधान) अब इसके 54 देशों में से 29 देश ऐसे हैं, जिनको कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है, अर्थात जो निर्णायक विषय और निर्णायक कार्यवाही होती है, उसमें भाग ले सकते हैं। ... (व्यवधान) आपस में यह मान्यता है कि सभी देश अपनी-अपनी संसदों में इस प्रकार का विधान लाएं, ताकि वहां पर यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है, जिससे कानून का उल्लंघन होता है या कोई ऐसी गतिविधि होती है, जो उस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस ट्रीटी का बुनियादी उद्देश्य अंटार्कटिका को डिमिलिटराइज करना था, ताकि वहां किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि न रहे, जिसमें जमीन को कब्जा करना या किसी तरह की सैनिक कार्रवाई हो।... (व्यवधान) उस ट्रीटी के मद्देनजर और उसकी मान्यता को स्वीकार करते हुए भारत के लिए भी यह बाध्यकारी हो जाता है कि हम इस प्रकार का विधान यहां लाएं कि अगर अंटार्कटिका में इस प्रकार का कोई उल्लंघन होता है तो उससे किस प्रकार से निपटा जाए, उसका क्या समाधान हो और उस पर क्या कार्रवाई की जाए। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to provide for the national measures for protecting the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems and to give effect to the Antarctic Treaty, the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources and to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप लोग शान्त हो जाइए। अधीर जी, क्या आप कुछ बोलेंगे?

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बात यह है कि सदन को ठप्प पड़े हुए एक हफ्ता हो गया है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप इस बिल पर कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, एक मिनट दीजिए। … (व्यवधान) हम बार-बार गुहार लगाते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : लेकिन यह सरकार अपना अड़ियलपन अपनाते हुए चर्चा नहीं करना चाहती है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर दा, क्या आप इस बिल पर कुछ बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री जयंत सिन्हा जी ।

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): माननीय सभापति जी, भारत का यह सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व के कारण हम लोग विश्वगुरू बनते चले जा रहे हैं। ...(व्यवधान) आज माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के बारे में हमें जो बताया है, उससे यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस विधेयक के द्वारा एवं कई अन्य कदमों के द्वारा हम लोग विश्वगुरू बनने का लक्ष्य तेजी से हासिल करते जाएंगे। ... (व्यवधान)

यह जो विधेयक लाया गया है, जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने हमें विस्तार से बताया है, यह विधेयक एक व्यापक और दूरदर्शी विधेयक है और इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, जिनके बारे में मैं थोड़े विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूंगा। ... (व्यवधान) इसका पहला उद्देश्य यह है कि अंटार्कटिक, जो 60 डिग्री लैटीट्यूड से दक्षिण एक काँटिनेंट है, जो आज के समय में बिल्कुल अनटच्ड है, इसे हम सुरक्षित रखें। ... (व्यवधान) इस काँटिनेंट का उपयोग सिर्फ वैज्ञानिक कारणों से हो रहा है, इसलिए वहां पर अमन बनाए रखते हुए, इसको वैज्ञानिक उद्देश्य से हमें सुरक्षित रखना है, जिसे हम इस विधेयक के द्वारा पूरी तरीके से हासिल करने वाले हैं। ... (व्यवधान) माननीय विदेश मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। ... (व्यवधान) साथ ही साथ, चूंकि हम लोग इसके कंसल्टेटिव पार्टनर हैं, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है, हमें एक जिम्मेदार कंसल्टेटिव पार्टनर की हैसियत से अपने देश में भी ऐसे कानून बनाने हैं, ताकि हम लोगों ने जो इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हैं, उनको हम अपने कानून के द्वारा इस तरीके से अमल करें। ... (व्यवधान)

ये दो मुख्य उद्देश्य हैं, जिनके द्वारा इस अंटार्कटिक बिल को आज सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह भी इसके बारे में समझें, क्योंकि यह न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के कई ऐसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के विषय हैं, जिससे यह अंटार्कटिक जुड़ा हुआ है। मैं इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा। ... (व्यवधान)

महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि अंटार्कटिक एक ऐसी जगह है, जहां बहुत कम तापमान रहता है। सर्दियों में तापमान माइनस 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और गर्मियों में सिर्फ माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ... (व्यवधान) इसका ऐवरेज तापमान माइनस 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंटार्कटिक का पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। इस कारण विश्व का 62 परसेंट जो फ्रेश वाटर है, वह आज के समय अंटार्कटिक की आइस सीट में बना हुआ है, लेकिन जलवायु के कारण धीरे-धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है।... (व्यवधान) पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग काफी तेजी से हो रही है। अब हम लोगों को लग रहा है कि सिर्फ 1.1 डिग्री, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, बल्कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग होती है तो 62 परसेंट जो फ्रेश वाटर है और जो अंटार्कटिक की आइस सीट है, वह धीरे-धीरे पिघलने लगेगी। जब यह धीरे-धीरे पिघलेगी तो विश्व में बहुत संकट आ सकता है।... (व्यवधान)

महोदय, भारत बहुत बड़ा कोस्टल राष्ट्र है। यहां गोवा, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई ऐसे बहुत सारे महानगर और बड़े-बड़े शहर हैं, जो कोस्ट पर है, समुद्र पर हैं। इस प्रकार से अंटार्कटिक के पिघलने से सी लेवल राइज होने लग जाए तो हमारी जो कोस्टल सिटीज हैं, इनमें फ्लडिंग का बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। ... (व्यवधान) इसलिए यहां पर वैज्ञानिक तौर पर समझना कि किस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अंटार्कटिक पर हो रहा है, यह भारत और विश्व के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर वैज्ञानिक मिशन सुरक्षित तौर पर हों और बिना किसी एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन के हों। ये सब हम लोगों को करवाना बहुत जरूरी है।... (व्यवधान)

जब से हम लोगों ने यह ट्रीटी साइन की है, आज तक यहां भारत के 41 साइंटिफिक मिशन हो चुके हैं। हमारे यहां दो साइंटिफिक सेंटर्स हैं। एक भारती का साइंटिफिक सेंटर है, एक मैत्री का साइंटिफिक सेंटर है। इसके अलावा एक गंगोत्री का है, जो टेंपरेरी चलता है, लेकिन वह भी बहुत जरूरी है।... (व्यवधान) यहां 41 साइंटिफिक मिशन हो चुके हैं। आज हमारा 50 से 60 साइंटिफिक

स्टाफ अंटार्कटिक में रहता है। इसलिए हम लोगों का यहां पर बहुत साइंटिफिक काम चलता रहता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को इस विधेयक को पारित करना चाहिए।... (व्यवधान)

मैं इस विधेयक के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा कि तीन-चार ऐसे मुख्य मामले हैं, जो बहुत ही दूरदर्शी हैं। विश्व के अन्य देशों ने भी अंटार्कटिक को सुरक्षित रखने के लिए विधेयक पारित किए हैं, लेकिन इस बिल में दो-तीन ऐसे प्रोविजन्स हैं, जो अन्य विधेयकों में नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि अगर अंटार्कटिक में कोई भी साइंटिफिक मिशन जाए तो उसको वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है।... (व्यवधान) वहां का वातावरण किसी तरीके से न बिगड़े, इसके लिए आपको वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। आपको वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी बनाना है कि अगर कोई भी वेस्ट हो तो उसका आप कैसे डिस्पोजल करें। इसका यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।... (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने 14 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है, जिसमें सरकार के हर प्रतिनिधि की जगह है और इसके साथ-साथ एक्सपर्ट्स की भी जगह है। अगर आपको कोई भी परमिट चाहिए तो प्लान इस कमेटी से परमिट लेकर ही अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आप वहां वैज्ञानिक काम कर सकते हैं।... (व्यवधान) तीसरा मामला यह है कि आप वहां पर सिर्फ सीमित काम कर सकते हैं। जैसे उनमें वैज्ञानिक काम हो या वहां जाकर समझ पाएं कि क्लाइमेट में क्या अंतर आ रहा है, अगर इस किस्म का काम है, तभी आपको परमिट मिलता है। यह भी इस विधेयक में पूरे तरीके से बताया गया है। यह बहुत ही व्यापक और दूरदर्शी विधेयक है। मैं इसका सहयोग और समर्थन करता हूं। मुझे पूरी अपेक्षा है कि माननीय सदस्य भी इस पर थोड़ा ध्यान दें और वह भी पूरे तरीके से समर्थन दें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री भर्तृहरि महताब जी।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह क्या हो रहा है?...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी अपनी सीट्स पर जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलने का अवसर दिया गया था।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, नो।

श्री भर्तृहरि महताब जी।

…(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here to support the Bill. ....*(Interruptions)* The subject for today's discussion is of great importance, of course, not only for our country but also for the whole world. ....*(Interruptions)* You remember that yesterday when this Bill was taken up for consideration, the Minister with open heart had stated that because most of the Oppositions' seats are vacant, I would like to have a discussion where Opposition also takes part in the deliberation, and without Oppositions' participation passing of a Bill is not the intent of the Government. ....*(Interruptions)* That is the reason why the Bill was deferred and it has been taken up today. ....*(Interruptions)* But I am sorry to see that the Opposition Members are still in the well, and they are not considering to listen to what other Members are saying. ....*(Interruptions)*

As I was saying, Antarctica is the White Continent of the world, and it is the 5th largest continent of our Earth. ....*(Interruptions)* It has very inclement weather, and as the Minister has very rightly said, it goes up from -10 to -30 degree during winter and at times during summer certain parts are also fully covered under ice. ....*(Interruptions)*

Antarctica has an area of around 14 million square kilometres, and is known to be the fifth largest continent. Around 98 per cent of the geographical area is covered by ice which is about 1.6 kilometre thick. ....*(Interruptions)* About 90 per cent of the total ice of the earth is found in Antarctica. As it is completely covered with ice, it is also called the White Continent. ....*(Interruptions)*

Sir, I would also like to mention here that it has a short history of last 140 years. ....*(Interruptions)* For a long time, Antarctica represented the last great frontier of human exploration. ....*(Interruptions)* Ships first explored the boundaries of the White Continent on sea voyages. ....*(Interruptions)* By the beginning of the 20th century, some were beginning to venture into Antarctica's unforgiving climate. ....*(Interruptions)* Before long the 'Race to the South Pole', as it was stated, began. Key competitors included some of history's great explorers. ....*(Interruptions)* Roald Amundsen, Robert Falcon Scott, Edward Adrian Wilson and Ernest Shackleton – all competed in the Race to the South Pole. ....*(Interruptions)* Roald Amundsen's expedition team became the first to reach the South Pole on 15th December 1911, and his team was the first to return hale and hearty to the civilized world. ....*(Interruptions)*

Sir, I would like to mention here that the ice sheet of Antarctica is the single largest piece of ice on Earth. ....*(Interruptions)* The ice increases from about three million square kilometres at the end of summer to around 19 square kilometres in winter. ....*(Interruptions)* As my predecessor speaker mentioned about global warming, this is the incident which we should be aware of. ....*(Interruptions)* Small island countries in Pacific and also in Indian Ocean are in great danger, if the

ice of the South Pole melts. The ice of Antarctica is a great wealth for the whole human kind. ....*(Interruptions)*

Sir, Antarctica is also home to a number of mountain summits with altitude of more than 4500 meters.

The Transantarctic mountains divide the Continent into eastern and western regions. Under the ice sheet is a giant peninsula and archipelago of mountainous islands known as Lesser Antarctica or West Antarctica. East Antarctica is composed of older, igneous and metamorphic rocks. West Antarctica is made up of younger, volcanic and sedimentary rocks. … (*Interruptions*)

Antarctica is considered a desert, the largest desert on earth. In fact, it is the coldest, windiest and driest of the seven Continents. … (*Interruptions*)

Here, I would like to mention that the surrounding Southern Ocean, however, is one of the most biologically diverse marine areas on the planet. The upwelling that occurs here allows plankton and algae to flourish.

This in turn attracts an abundance of fish, which creates the perfect feeding ground for the larger fish and marine mammals. Blue, fin, humpback, minke and sperm whales are abundant in Antarctica. … (*Interruptions*) Antarctica is home to several seal species, including leopard seals, one of the most aggressive of all marine predators. This 400 kilogram apex predator feeds mostly on penguins and fish. … (*Interruptions*) This is the natural habitat of Antarctica and to protect this habitat, it is necessary that we also become a party to the United Nations Agreement, about which the Minister has just now mentioned.

… (*Interruptions*) Sir, this Bill aims at promoting Antarctica as a natural reserve that is devoted to science and peace, and to ensure that Antarctica does not become the scene of international discord. That is the basic purpose for which this Bill is being introduced and I believe, cutting across party lines, everybody should support this Bill. … (*Interruptions*) India maintains two research stations in Antarctica – Maitri since 1989 and Bharati since 2012 – and has launched 41 expeditions to the Continent so far. The Antarctica Treaty was signed in Washington D.C. on the 1st day of December, 1959. India signed the Antarctica Treaty on 19th August, 1983 and received consultative status on the 12th September, 1983. The Treaty covers the area South of 60 degree latitude and 27 countries, of which some names have already been mentioned by the Minister. … (*Interruptions*) There is a need for the law. While India has been sending expeditions to Antarctica for the last 40 years, these expeditions have been circumscribed by international law. This Bill now puts into place a comprehensive list of regulations related to Antarctica for scientific expeditions as well as for individuals, companies and tourists. This reminds me of what the DRDO has done. The bio-toilets, that are being used in most of the trains today, were actually explored by our scientists in DRDO which were put into experiment in Antarctica. That is the direct effect which the scientific exploration has made and it is necessary. … (*Interruptions*) I need not go into the key features of the Bill, but here I would like to mention that this is a necessity not only for our country, but also for the whole world. We will become a part of the greater brotherhood, the international brotherhood and therefore, I believe that everybody should support this Bill wholeheartedly.

Thank you. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your Leader is going to speak now.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, आप मुझे मेरी बात खत्म होने तक बोलने का मौका दीजिए।

माननीय सभापति : आप इस बिल पर ही बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं बिल पर बोलूंगा, लेकिन मेरी बात खत्म होने तक आपको समय देना पड़ेगा। … (व्यवधान)

सर, इन लोगों की बात में आकर जबरदस्ती मत किया कीजिए। … (व्यवधान) आप हमारे कस्टुडियन हैं। … (व्यवधान) सरकार इस तरीके से हमारे ऊपर क्यों जुल्म कर रही है? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : कल आप अनुपस्थित थे, इसलिए इस बिल पर चर्चा आज हो रही है। Now, please cooperate.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्लीज, सब लोग अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी जी - आप बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मंत्री जी हमें अंटार्कटिक बिल की अहमियत समझा रहे थे। इसकी अहमियत के मद्देनजर पहले ही, जिस समय यह अंटार्कटिक बिल इस सदन में इन्ट्रोड्यूस हुआ था, उस समय मैंने खुद खड़े होकर इस बिल को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए, इसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ सलाह दी थी। अभी भी इसमें भाग लेने में हम काफी दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन हम

क्या करें? यह सरकार एक बीएसी मीटिंग करके, उसमें हम सबको बुलाकर एक बार चर्चा कर ले, तो सब कुछ आराम से चल सकता है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो इसमें शिरकत करना चाहते हैं। सिर्फ मेरी पार्टी के ही नहीं, दूसरी पार्टीज के भी मेंबर्स हैं।

इस बिल की अहमियत के मद्देनजर सबको इसमें शिरकत करना जरूरी है, लेकिन ये क्या करते हैं? अपने बलबूते पर, किसी की परवाह न करते हुए, इस अहम बिल को पास करवाने जा रहे हैं। मैं इनको यह सलाह देना चाहता हूं कि एक बार अपोजीशन पार्टीज के सारे फ्लोर-लीडर्स को मीटिंग में बुलाकर एक मिनट में समाधान हो जाएगा।

सर, जैसे आज अंटार्कटिक बिल पर चर्चा हो रही है, वैसे ही हिन्दुस्तान की आर्थिक हालत में भी अंटार्कटिक जैसे हालात हो गए हैं। … (व्यवधान) इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप हमें मौका नहीं देंगे, तो हम वॉक-आउट करेंगे। … (व्यवधान)

<u>14.26 hrs</u>

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति जी, जैसे कि अभी इस बिल पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए हमारे मित्र और सांसद साथी माननीय श्री जयंत सिन्हा जी और महताब साहब ने कहा, अंटार्कटिक का एक विशेष महत्व भी है और एक बड़ी ही रोचक भौगोलिक परिस्थिति भी है। … (व्यवधान)

जैसा कि इन्होंने अभी बताया, गर्मी के मौसम में वहां शून्य से दस डिग्री कम का तापमान और सर्दियों में शून्य के नीचे 90 डिग्री तक का तापमान रहता

है। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने पहले ही दे दी है, इस पर बहुत अधिक विवाद नहीं है। मेरा मात्र इतना कहना है कि आज अंटार्कटिक बिल लाने का उद्देश्य क्या है? मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत अधिक विषय नहीं उठे हैं।

वर्ष 1959 में यह ट्रीटी हुई थी और भारत इस पर वर्ष 1983 में हस्ताक्षर करके इसका हिस्सा बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंटार्कटिक की जमीन को किसी भी सैनिक या किसी अन्य कारण से दुरुपयोग में न लाया जाए। इसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है - to ensure demilitarisation, ताकि वहां कोई मिलिट्री एक्टिविटी न हो। दूसरा, कोई भी देश किसी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी या गैर-कानूनी एक्टिविटी न करे, क्योंकि यह more or less no man's land है। उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न न हो, संभावना न हो। कोई न्युक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करे, ऐसा न हो।

कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करना कि जितने भी देशों के वहां संस्थान हैं, जैसे महताब साहब ने बिलकुल सही फरमाया 'मैत्री' और 'भारती' भारत के संस्थान हैं, वे अपने आप को शोध तक सीमित रखें या फिर और कुछ एक प्रयोग हैं, जो जलवायु या भौगोलिक संबंधित हैं, उन तक सीमित रखें। चूंकि भारत के भी वहां दो संस्थान हैं और दूसरे देशों के भी हैं, इसलिए इसी ट्रीटी के अंतर्गत यह तय किया गया कि एक विधान लाया जाए, हर देश लाए। एक मान्यता थी कि उसी देश का विधान या कानून उसके अपने क्षेत्र में लागू हो।

अब चूंकि हमारे भी दो संस्थान हैं, तो जाहिर है कि भारत का ही कानून वहां एप्लिकेबल होगा। यानी डीमिलेट्राइजेशन तो है ही, वह हमने सुनिश्चित किया, उसको किसी प्रकार से इललीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, यह भी सुनिश्चित हुआ, परंतु उसके बावजूद कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो किस कानून के तहत कार्रवाई की जाए? आप जानते हैं कि दुनिया भर में कोई न कोई, किसी न किसी तरह का कानून, किसी न किसी स्वरूप में, हर देश में, हर क्षेत्र में लागू है। यह चूंकि ऐसा क्षेत्र है, जिस पर किसी देश की

प्रभुसत्ता नहीं है, इसलिए भारत का कानून भारत के हिस्से के क्षेत्र में लागू हो, मात्र इतना इसका उद्देश्य है।

जब यह बिल पास हो जाएगा, तो उसके उपरांत हमारे यहां एक समिति गठित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव होंगे।

महोदय, उस समिति में अन्य मंत्रालयों के भी प्रतिनिधि रहेंगे क्योंकि फिशरीज का कुछ न कुछ काम चलता रहता है। डिफेंस का काम तो है ही, शिपिंग, पर्यावरण, स्पेस, टूरिज्म का भी काम है। इसलिए, इस बिल का बहुत ज्यादा उस तरह का व्यापक इम्प्लीकेशन नहीं है। इस बिल के पास होने के बाद भारत का कानून will be applicable in the area occupied by the Indian institutions and the Indian personnel living in that Continent.… (*Interruptions*)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): सभापति जी, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय, अंटार्कटिक एक वर्जिन लैंड है और वहां बर्फ ही बर्फ है और उसकी सतह बहुत मोटी है। उसके नीचे सारी चीजें हैं और वे वर्जिन केटेगरी में हैं। मंत्री जी ने कहा कि कोई इललीगल माइनिंग न हो, उसके नीचे वर्जिन पोली मैटेलिक मोड्यूल्स हैं, कोबाल्ट है, निकेल है और गैस भी है। उसके नजदीक ही नार्वे है। नार्वे आज की तारीख में सबसे ज्यादा ऑयल बेचता है और उसके आस-पास से ही सारा तेल और गैस निकलती है, क्रूड निकलता है। उसकी सतह के नीचे से ही निकल रहा है। जब हमारी साइंटेफिक आर्गेनाइजेशन्स इस पर रिसर्च करती हैं तो क्या इसका पता लगाती हैं कि जब इस इलाके से तेल और गैस निकाला जा रहा है, तो उसका प्रभाव अंटार्कटिक के इस क्षेत्र में कितना पड़ रहा है। हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, किंतु नीचे से गैस और ऑयल निकाल लिया जाए, तो यदि उस सतह की अंतत: फिलिंग प्रोपर न हो, तो वह सतह बैठने लगती है। हमें भविष्य के लिए यह भी चिंता करनी है कि वहां खनन से जो जगह खाली होगी और वहां बर्फ सब्साइड होने लगेगी, तो भूकंप का भी खतरा है। सिस्मोलॉजिक स्टडीज से पता चलता है कि भूकंप आते हैं और वे

केवल धरती पर ही नहीं आते हैं, समुद्र के अंदर भी आते हैं। इसी तरह अर्थक्केक अंटार्कटिका के नीचे भी होते हैं। उन सभी चीजों को स्टडी करके उनके प्रोटेक्शन के लिए विश्व गुरू बनकर भारत एक अच्छा काम कर सकता है और इस क्षेत्र के सेंटर वहां बनाने की जरूरत है। आपने अनाधिकार अनुप्रवेश को रोकने के लिए एक समिति बनाई है, यह अच्छी बात है किंतु इसमें कल यदि प्राइवेट ऑपरेटर्स और प्राइवेट प्लेयर्स जाने लगेंगे तो उतना अंकुश नहीं लग सकेगा, क्योंकि उसका कमर्शियल एक्सप्लायटेशन करने की बात होगी।

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में रोशनी डालें।

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : महोदय, मैं आपके समक्ष अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यदि बिल से संबंधित कोई क्लेरीफिकेशन है, तो आप संक्षेप में बोलिए, so that hon. Minister can respond on that.

SHRI RAVI KISHAN: Sir, I would like one clarification on a Private Members' Bill, for which I have been waiting since 2019. … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I would like to seek one clarification from the hon. Minister with respect to clause 2 of the Bill which provides that this Act shall apply to citizens of India. But at the same time, it is also mentioned that it will apply to citizens of any other country as well as any vessel or aircraft registered outside India. … (*Interruptions*)

On the issue of jurisdiction, how can it be extended to the vessel registered outside India, and to non-citizens of India? … (*Interruptions*)

डॉ. **जितेन्द्र सिंह :** सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री अहलूवालिया साहब इस विषय के जानकार हैं और पूरा अध्ययन करके इन्होंने अपनी बात रखी है।

इनका कहना ठीक है कि उसके आगे-पीछे दूसरे देश भी हैं और उन्होंने भी अपने संस्थान वहां पर स्थापित किए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर नॉर्वे केवल 100 किलोमीटर दूर है। हमारी जो लैबोरेट्रीज हैं, उनका संस्थान भी है। इस ट्रीटी की कल्पना भी इसीलिए की गयी थी कि कोई भी देश इस प्रकार की लालसा में या प्रवृत्ति में न आए कि जैसे कोई ऑयलिंग की एक्टिविटी करनी है या माइनिंग की एक्टिविटी करनी है। इस बात को लेकर एक साझा समझौता हो। कुल मिलाकर अंटार्कटिक के साथ संबंधित 3 ट्रीटियां हैं। एक तो यही ट्रीटी है, जिसके तहत हम यह बिल ला रहे हैं। दूसरा, Convention of Antarctic Marine Living Resources, यानी, वहां पर दूसरी तरह के जो रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए। तीसरा Protocol on Environmental Protection है, जिसकी ओर माननीय अहलूवालिया जी ने भी इशारा किया। … (व्यवधान)

<u>14.37 hrs</u>

At this stage, Dr. Mohammad Jawed, Shri Rajmohan Unnithan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

***m09 माननीय सभापति :** प्रश्न यह है:

> "कि अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और अंटार्कटिक संधि को प्रभावी करने हेतु अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा का संरक्षण संबंधी अभिसमय और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रोटोकाल तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने-अपने संशोधन दिए हैं, उनमें से केवल श्री रितेश पाण्डेय जी उपस्थित हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

CLAUSE 6 Permit for vessel and aircraft entering Antarctica

माननीय सभापति: श्री रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

***m10 श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर):** सर, मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 23 के पश्चात् -

"परन्तु यह और कि कोई भी अधिकृत टूर ऑपरेटर 500 से अधिक यात्रियों को

ले जाने वाले जलयानों का उपयोग अंटार्कटिक में प्रविष्टि से नहीं कराएगा।"

"परन्तु यह और कि किसी भी समय किनारे पर यात्रियों की संख्या 100 या उससे

कम हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।"

"परन्तु यह और कि समुद्र तटों पर गाइड और यात्री का न्यूनतम अनुपात 1:20 रखा

जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।"

अंत: स्थापित करें। (12)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 57 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाइए । आपको पूरा अवसर दिया गया।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर जी, कल केवल आपकी अनुपस्थिति का सम्मान करते हुए विधेयक पर आज विचार हुआ। आपको पूरा अवसर दिया गया। प्लीज, ऐसा न करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, 25 जुलाई, 2022 को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

-

14.39 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock on

Monday, July 25, 2022/Sravana 3, 1944 (Saka).

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library

* Treated as laid on the Table.